अध्याय–दो

शलाका.

(क) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका.

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत किये गये दिनों के संबंध में नियम 24 (2) के अधीन एक शलाका होगी शलाका ऐसे दिन होगी जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए किसी माह में नियत किये गये प्रथम दिन से कम से कम सात दिन पहले पड़ता हो और ऐसी रीति से होगी जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें.

शलाका का परिणाम.

3. प्रत्येक शलाका के परिणाम की घोषणा पत्रक भाग–दो में की जायेगी.

शलाका के पश्चात् पुरःस्थापित विधेयकों पर कार्यवाही.

4. ऐसे विधेयक, जो शलाका हो चुकने के बाद पुरःस्थापित किये गये हों और जिनके [illegible] में अलग प्रस्तावों की सूचनाएं कार्यसूची के जारी होने से पूर्व प्राप्त हो जायें उस दिन की कार्यसूची में शलाका में आये हुए सारे विधेयकों के नीचे रखे जाएंगे.

शलाका की सूचना.

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका के लिये नियत दिन की सूचना सदस्यों को पत्रक भाग–दो के द्वारा दी जावेगी.

(ख) संविहित संकल्प.

संविहित संकल्प.

6. (1) ऐसा संकल्प जिसकी सूचना किसी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में दी गई हो, को यदि अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर लिया जाए तो उसकी सूचना पत्रक द्वारा तुरंत जारी की जायेगी और उसकी सूचना की एक प्रति शासन को भेजी जाएगी

(2) अध्यक्ष, सभा कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा नेता से परामर्श करके ऐसे किसी संकल्प पर चर्चा के लिये एक या अधिक दिन अथवा दिन का कोई भाग नियत कर सकेगा.